राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(7)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2008 जयपुर, दिनांकः 2 NOV 2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को वरिष्ठ प्रदर्शक, एनाटोमी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600–39100(ग्रेड–पे रू 5400 / –) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ. 14(1)एफडी / रूल्स / 2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180 / प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते है :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ0 निर्मला पत्नी श्री भारत भूषण C/o प्लाट नं. 19, ए–ब्लॉक, सी.ए. सर्किल, सेक्टर–14, हिरन मगरी, उदपुर–313001 (राज.)।	02	08.05.1983	पिछड़ा वर्ग महिला	मेडिकल कॉलेज उदयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तो, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र / आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क–2 / 2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त / नियम / 97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी–निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(31)भर्ती/गोपनीय/2014–15/286 दिनांक 23.08.2017 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/ कोटा/उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव